पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या. 15816/2023

==========

1. गोल्डन कुमार, पुत्र-बिष्णु प्रसाद, निवासी ग्राम-जलालपुर, डाकघर और थाना-नूरसराय, जिला-नालंदा-803113.
2. अजीत कुमार, पुत्र-बखोरी प्रसाद सिंह, निवासी-मोहिउद्दीनपुर चक, डाकघर व थाना - जिला-नालंदा-801302.
3. विजय कुमार राम, पुत्र-श्रीकांत राम, निवासी ग्राम भंती, डाकघर-कचनार, थाना-रघुनाथपुर, जिला-सीवान-841210.
4. राजेश कुमार, पुत्र-रामबली सिंह, निवासी ग्राम-दाउदनगर, डाकघर व थाना-दाउदनगर, जिला-औरंगाबाद-824143.
5. निखिल कुमार सिंह, पुत्र-अशोक कुमार सिंह, निवासी ग्राम-तेलहारा, डाकघर-अंबा, थाना.-तेलहारा, जिला-औरंगाबाद-824111.
6. ओम प्रकाश मेहता, पुत्र-श्री राम मेहता, निवासी ग्राम-सोनौरा, डाकघर व थाना-सोनौरा, जिला औरंगाबाद-824301.
7. धनंजय कुमार यादव, पुत्र-रामाधार यादव, निवासी ग्राम-दरवान, डाकघर दरवान एवं थाना-दनरवा, औरंगाबाद-824203.

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, सामान्य प्रशासनिक विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से।
2. श्रम संसाधन विभाग, अपने प्रधान सचिव बिहार सरकार के माध्यम से।
3. निदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार।
4. नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय बिहार, अपने संयुक्त सचिव श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से।

5. संयुक्त निदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार , पटना, बिहार।

6. सहायक निदेशक प्रशिक्षण, बिहार सरकार।

7. सचिव बीटीएससी पटना।

8. प्रभारी सचिव बीटीएससी पटना।

..... प्रतिवादी/ओं

==========

साथ में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 15866/2023

==========

1. कौशिक कुमार पुत्र-श्री धनंजय शर्मा, निवासी ग्राम-समरकंद, डाकघर- कोरमा, थाना- घोसी, जिला- जहानाबाद, पिन कोड-804432.

2. मोहम्मद चंगेज़, पुत्र- मोहम्मद सैफुद्दीन, निवासी आवारी, डाकघर-आवारी, थाना-मढ़ौरा, जिला- सारण, पिन कोड- 841418.

3. रूपक कुमारी, पुत्री-श्री ओम प्रकाश गुप्ता, निवासी ग्राम-बिस्फी गोला, डाकघर-बिस्फी, थाना- बिस्फी, जिला-मधुबनी, पिन कोड- 847122.

4. संजय कुमार सुमन, पुत्र-श्री धर्म नारायण साह, निवासी मझौरा, डाकघर- छजना, थाना- नरहिया, जिला- मधुबनी, पिन कोड-847108.

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य मुख्य सचिव, बिहार, पटना के माध्यम से।

2. प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

3. निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय (प्रशिक्षण विंग), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

4. बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना अपने सचिव के माध्यम से।

5. अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

6. सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

..... प्रतिवादी/ओं

==========

साथ में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 16335/2023

==========

1. सुनील कुमार पुत्र योगेन्द्र प्रसाद, निवासी डाकघर व थाना – शंकर सरैया, जिला - पूर्वी चम्पारण, पिन कोड- 845437.

2. सिकंदर कुमार, पुत्र बिष्णुदयाल राम, निवासी गांव व डाकघर-खपुरा, थाना- खपुरा, जिला - नालंदा, पिन कोड- 801305.

3. राजीव रंजन, पुत्र शंकर चौधरी, निवासी भरत राउत , डाकघर व थाना -हाजीपुर, जिला - वैशाली, पिन कोड – 844101.

4. रंजीत कुमार, पुत्र हरि नारायण प्रसाद, निवासी डाकघर व थाना -बरनी, जिला -पटना, पिन कोड –804452.

5. उदय कुमार भारती, पुत्र बरास पंडित, निवासी समीप प्रखंड कार्यालय, उत्तरी संगत, वार्ड संख्या 6, फुलवारीशरीफ, थाना - फुलवारीशरीफ, जिला -पटना, पिन कोड- 801505.

6. जीतेन्द्र कुमार सिंह, पुत्र कामता राय, निवासी नकटा दियारा, डाकघर-मखदुमौर दीघा, थाना -दीघा, जिला -पटना, पिन कोड – 800011.

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. भारत संघ सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से।
2. महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. बिहार राज्य प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से।
4. निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय (प्रशिक्षण विंग), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
5. बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना अपने सचिव के माध्यम से।
6. अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
7. सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

..... प्रतिवादी/ओं

==========

साथ में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2162/2024

==========

1. नागेन्द्र राम पुत्र- शिवध्यान राम, निवासी वार्ड संख्या 7, ग्राम-रामपुर गांगुली, डाकघर-रामपुर गांगुली, थाना-रीगा, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843327.
2. श्याम बाबू शफी पुत्र-राम बिनोद शफी, निवासी ग्राम-हरि छपरा, मुनिक चौक डाकघर-लग्मा थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843323.
3. उज्जैन राजू कुमार सिंह पुत्र-रामविलाश सिंह, निवासी ग्राम-कैलाशपुरी वार्ड क्रमांक-11, डाकघर एवं थाना-सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843301.

4. राजेश महतो पुत्र-बैधनाथ महतो, निवासी ग्राम-चक महिला डाकघर-चक महिला, थाना-सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843302.

5. विश्वमीत कुमार पुत्र-धनबीर प्रसाद, निवासी ग्राम-वार्ड संख्या 8, श्री रामपुर, डाकघर-नारंगा, वाया-परिहार, थाना-बेला, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843324.

6. सुजीत कुमार पुत्र-जय नारायण महतो, ग्राम निवासी-वार्ड संख्या 1 तिलंघी, डाकघर-बानरझूला, वाया-भुतही, थाना-सोनबरसा, जिला-सीतामढ़ी पिन-843317.

7. रविशंकर पुत्र-शम्भू आचार्य, निवासी ग्राम-वार्ड क्रमांक 5, मुरौल, थाना-बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843314.

8. विकाश सौरभ पुत्र-त्रिवेदी रंजीत कुमार निवासी गांव और डाकघर-भोरहां, मोहनपुर, थाना-श्यामपुर भटहां, जिला-शिवहर, बिहार-843329.

9. कुमार दीपेंद्र सिंह उर्फ केआर. दीपेंद्र सिंह पुत्र-तिलयुग नारायण यादव, निवासी ग्राम-घाघरा, डाकघर-बबुरवन, थाना-परिहार, जिला-सीतामढी, पिन-843324.

10. शारदा नंदन कुमार उर्फ शारदा नंदन केआर. पुत्र-नवल किशोर पांडे, निवासी ग्राम बघारी, डाकघर-बघारी, थाना-रून्नी सैदपुर, जिला-सीतामढी, पिन-843323.

11. प्रवीण कुमार पुत्र-गंगा प्रसाद यादव, निवासी ग्राम-खोपराहिया, डाकघर- अंदौली, थाना-परिहार, जिला-सीतामढ़ी पिन-843324.

12. मनोज कुमार पुत्र-श्री रामबृक्ष यादव, निवासी ग्राम वार्ड संख्या 9, सरदलपट्टी, डाकघर-सरदाल पट्टी, थाना-सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843324.

13. बीरेन्द्र कुमार पुत्र-राजा नंदन सिंह, निवासी ग्राम- रूपौली वार्ड संख्या 05, डाकघर-बिशनपुर, थाना-डुमरा, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843302.

14. ललित कुमार पुत्र-राम पूजन ठाकुर, निवासी ग्राम व डाकघर-मोहनीमंडल दुबहा, थाना-सुप्पी, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843327.

15. श्रेया श्रीवास्तव पुत्री- सच्चिदानंद प्रसाद, निवासी-पुराना सर्कस परिसर वार्ड संख्या 2, गौशाला रोड, थाना-चक महिला सीतामढी, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843302.

16. प्रदीप कुमार पुत्र-कृष्ण चंद्र झा निवासी वार्ड संख्या 29, आदर्श नगर, कला निकेतन के दक्षिण, राजो पट्टी, डाकघर एवं थाना-सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843301.

17. यशवन्त कुमार पुत्र- राम हलधर दास, निवासी ग्राम व डाकघर-बलुआह, तहसील-महिषी, जिला-सहरसा पिन-852216.

18. चंद्रिका साह पुत्र-राम स्वार्थ साह, निवासी वार्ड संख्या 10, सिरा, डाकघर- विशनपुर, परमानंदपुर, थाना- सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843302.

19. सत्य नारायण कुमार उर्फ सत्य सिंह पुत्र- बच्चू भगत, निवासी ग्राम-परतापुर, थाना-सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी, पिन-843311.

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य सामान्य प्रशासनिक विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।

2. श्रम संसाधन विभाग, अपने प्रधान सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।

3. निदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार।

4. नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय बिहार, अपने संयुक्त सचिव श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।

5. संयुक्त निदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार, पटना, बिहार।

6. सहायक निदेशक प्रशिक्षण बिहार सरकार, पटना।

7. सचिव बी.टी.एस.सी. पटना।

8. प्रभारी सचिव बी.टी.एस.सी. पटना।

..... प्रतिवादीगण/ओं

==========

साथ में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 3385/2024

==========

1. राजीव रंजन, पुत्र-बिंदेश्वरी प्रसाद, निवासी पर्वतिया टोला, वार्ड संख्या 1, डाकघर एवं थाना-बेतिया, जिला-पश्चिमी चंपारण, पिन कोड-845438.

2. सिकंदर प्रसाद, पुत्र-बिशुन देव प्रसाद निवासी नवगावां, डाकघर-लक्ष्मीपुर, थाना-चुहारी, जिला- पश्चिमी चंपारण, पिन कोड- 845450.

3. ब्यूटी कुमारी, पुत्री-जगदेव यादव, निवासी वार्ड संख्या 34, डाकघर एवं थाना-सिसवनिया, जिला-पश्चिमी चंपारण, पिन कोड-845453.

4. अमर ज्योति, पुत्र- सत्येन्द्र प्रसाद राय, निवासी लखनपुर टाल, डाकघर एवं थाना एवं जिला-वैशाली, पिन कोड-844504.

5. चंदन तिवारी, पुत्र-सत्येन्द्र तिवारी, निवासी खाश महल, रोड नंबर 3, चिरैयाटांड़, डाकघर-जीपीओ, थाना-जक्कनपुर, जिला-पटना, पिन कोड-800001.

6. बमबम कुमार, पुत्र- दीप नारायण यादव, निवासी ताली बरारी, डाकघर एवं थाना-बरारी, जिला-कटिहार, पिन कोड-854104.

7. बिहारीलाल प्रसाद, पुत्र-रामस्वरूप प्रसाद, निवासी जौकटिया, वार्ड संख्या 18 डाकघर और थाना-जवकटिया, जिला-पश्चिम चंपारण, पिन कोड-845454.

8. कौशिक कुमार, पुत्र- धनंजय शर्मा, निवासी गांव-एस अमरखंड, डाकघर- कोरमा, थाना-घोसी, जिला-जहानाबाद, पिन कोड-804432.

9. सन्नी कुमार, पुत्र-नंदकिशोर प्रसाद, निवासी वासुदेवपुर बेलदार वीरकुंवर दलहट्टा, डाकघर और थाना और जिला-मुंगेर, पिन कोड-811 201.

10. अजीत कुमार, पुत्र-बखारी प्रसाद सिंह, निवासी चकमोहिदद्दीनपुर, थाना मोहीउद्दीनपुर, थाना- चिकसौरा, जिला- नालंदा, पिन कोड- 801302.

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य मुख्य सचिव, बिहार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
3. निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय (प्रशिक्षण विंग), श्रमसंसाधन विभाग, बिहार, पटना।
4. बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना अपने सचिव के माध्यम से।
5. अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
6. सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

..... प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

(दीवानी रिट अधिकार क्षेत्र केस संख्या 15816/2023 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री मोहम्मद शाहनवाज अली, अधिवक्ता
		श्री पद्मनाथ कश्यप, अधिवक्ता
		श्री दीपक कुमार, अधिवक्ता
		श्री पुष्कर भारद्वाज, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता
बीटीएससी के लिए	:	श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता
हस्तक्षेपकर्ता के लिए	:	श्री पी.एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री श्याम सुंदर कुमार, अधिवक्ता

श्री रितेश कुमार, अधिवक्ता

(दीवानी रिट अधिकार क्षेत्र केस संख्या 15866/2023 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता
बीटीएससी के लिए	:	श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 16335/2023 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता
बीटीएससी के लिए	:	श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता
यूओआई के लिए	:	श्री आनंद के. ओझा, सीनियर सीजीसी
हस्तक्षेपकर्ता के लिए	:	श्री पी.एन. शाही, सीनियर अधिवक्ता
		श्री श्याम सुंदर कुमार, अधिवक्ता
		श्री रितेश कुमार, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार केस संख्या 2162/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री राम निवास राय, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता
बीटीएससी के लिए	:	श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता

(दीवानी रिट अधिकार क्षेत्र केस संख्या 3385/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री पी.के. शाही, महाधिवक्ता

बीटीएससी के लिए : श्री निकेश कुमार, अधिवक्ता

==========

बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक संवर्ग नियमावली, 2018- याचिकाकर्ताओं ने नियम और विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि सीआईटीएस को अनिवार्य योग्यता नहीं बनाया गया था- इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब उक्त विज्ञापन आया तब नियम, 2018 को न तो अधिसूचित किया गया था और न ही आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था- सीआईटीएस को वरीयता देने वाले राज्य सरकार के विज्ञापन को केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देशों को अपनाने के रूप में माना जा सकता है- चयन की पद्धति- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही उचित है और सीआईटीएस के अधिमान्य उपचार के अनुरूप भी है- संविदा कर्मचारियों के लिए दिया गया वेटेज- अल्पकालिक/अतिथि व्याख्याताओं की संविदा कर्मचारियों के साथ बराबरी नहीं की जा सकती- विज्ञापन में निर्धारित चयन की प्रक्रिया, चयन में लिखित परीक्षा और संविदा कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेटेज के संबंध में विभिन्न सरकारी आदेशों के अनुरूप है, जो एक-दूसरे के साथ संघर्ष नहीं करते हैं- राज्य निर्देशों के साथ चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम देगा- राज्य सरकार को दोनों धाराओं, नियमित और आरपीएल के तहत प्राप्त सीआईटीएस पर विचार करने का निर्देश दिया गया- याचिका आंशिक रूप से अनुमति दी गई। (पैरा 28 से 31)

एआईआर 1951 एससी 467; (1987)1 एससीसी 658; (2014) 3 एससीसी 502; एआईआर 1964 एससी 358; (2016) 15 एससीसी 726—इस पर भरोसा किया गया। 2006 ऑनलाइन ऑल। 709; (1875) एलआर 1 सीएच.डी 426; एमएएनयू/यूपी/0024/23; डब्लूपी 2654 of 2023 (बम्बई)—संदर्भित।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार

सीएवी निर्णय

(प्रति: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक: 17-05-2024

केंद्र सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देशों, एक अकादमिक निकाय की अनुशंसाओं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्य सरकार द्वारा तैयार नियमों के बीच परस्पर क्रिया, सरकार की सेवा में एक कैडर में चयन, नियुक्ति और रोजगार की शर्तों के विनियमन में, उपरोक्त मामलों में उठने वाला मुद्दा है। कैडर बिहार राज्य के भीतर 'औद्योगिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों' का है, जो पहले 2013 में बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित था, जिन्हें निरस्त कर दिया गया और 2018 के नियम लागू हो गए। 2013 के नियमों के तहत वर्ष 2016 में प्रकाशित चयन और नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन पर आगे नहीं बढ़ा गया।

2. औद्योगिक व्यापार प्रशिक्षकों के चयन के लिए एक और विज्ञापन वर्ष 2018 के नियमों के तहत वर्ष 2023 में प्रकाशित किया गया था। इस अंतराल में, अनुबंध और अल्पकालिक/अतिथि व्याख्याताओं के रूप में नियुक्तियां की गईं। वर्ष 2023 के विज्ञापन का उद्देश्य 2018 के नियमों के अनुसार चयन करना था, जिसमें (i) लिखित परीक्षा, (ii) इंजीनियरिंग में स्नातक/डिप्लोमा या आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट परीक्षा में प्राप्त अंक, (iii) 'क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम' (सीआईटीएस) के प्रमाण पत्र की योग्यता को वरीयता देना और (iv) संविदा कर्मचारियों को वरीयता देना शामिल था। रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता जो अल्पकालिक/अतिथि व्याख्याता हैं, ने विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी; (I) चूंकि राजपत्र अधिसूचना बाद में आई, इसलिए 2018 के नियम विज्ञापन के समय लागू नहीं किए गए, (ii) कि, सीआईटीएस योग्यता को केवल

वरीयता नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि यह अनिवार्य है, (iii) कि, नियमित और आरपीएल सीआईटीएस की समतुल्यता की गणना नहीं की गई है और (iv) कि, राज्य की कार्रवाई भेदभावपूर्ण थी क्योंकि अल्पकालिक/अतिथि व्याख्याताओं,जो उन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और संविदा कर्मचारियों के समान स्थिति में हैं, को राज्य की सेवा में उनके जारी रहने वाले वर्षों के लिए उसी तरह से वरीयता नहीं दिया गया, जिस तरह से संविदा कर्मचारियों को जारी रखा गया था।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनव श्रीवास्तव ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3385/2024 के संदर्भ में तर्क दिया। जब प्रारंभिक रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, तो याचिकाकर्ताओं ने नियम और विज्ञापन को इस आधार पर चुनौती दी थी कि सीआईटीएस को अनिवार्य योग्यता नहीं बनाया गया था। बाद में ही याचिकाकर्ताओं को एहसास हुआ कि 2018 के नियम, जिसके आधार पर विज्ञापन निकाला गया था, टिक नहीं सकते, क्योंकि 2018 के नियम आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित नहीं किए गए हैं; जिस पर सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3385/2024 दायर की गई थी, जिसके आधार पर तर्क दिए गए थे। यह बताया गया है कि 2013 के पहले के नियमों को लागू किया गया था और इसने केंद्र सरकार के विभिन्न निर्देशों को कम महत्व दिया था कि सीआईटीएस को ट्रेड प्रशिक्षकों के लिए अनिवार्य योग्यता बनाया जाना चाहिए ताकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दिए जाने वाले प्रशिक्षण के मानकों को बढ़ाया जा सके; देश और राज्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए एक विज्ञापन जारी किए गए एक विज्ञापन को चुनौती दी गई थी, जिसे चुनौती बरकरार रखी गई थी और इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने ट्रेड प्रशिक्षकों के चयन के उद्देश्य से सीआईटीएस की योग्यता अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया था। राज्य इस मामले पर सो गया, लेकिन वर्ष 2016 में एक विज्ञापन जारी किया जिसमें सीआईटीएस को एक आवश्यक योग्यता बनाया गया था। इस पर बिना किसी कारण के

आगे नहीं बढ़ा गया। इस बीच, संविदा और अतिथि व्याख्याताओं दोनों के रूप में नियुक्तियां की गईं; जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और उसी तरह जारी रख रहे हैं। वर्ष 2018 में, नए नियम तैयार किए गए, जिसमें सीआईटीएस की अनिवार्य योग्यता को एक वांछनीय योग्यता बना दिया गया; जो केंद्र सरकार के अधिदेश के विरुद्ध है। भारत के संविधान की अनुसूची-VII की सूची-I की प्रविष्टियाँ 63, 64, 65 और 66 तथा समवर्ती सूची की प्रविष्टि-25; अनुसूची-VII की सूची-III, की प्रविष्टियाँ केंद्र सरकार द्वारा जारी कार्यकारी अनुदेशों को प्राथमिकता देती हैं। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा के मानक को सुनिश्चित करने और बढ़ाने के कार्य के साथ कार्यरत शीर्ष निकाय, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा किए गए नुस्खे को कमजोर नहीं कर सकता है। यह बताया गया है कि 2018 के नियमों को लागू करने के लिए कोई राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, जिसके संदर्भ में, 2018 के नियमों के अनुसार जारी किए गए विज्ञापन को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। लिखित परीक्षा का नुस्खा 2018 के नियमों के अनुसार है, जिसे कैडर में चयन और नियुक्ति में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह ठीक से अधिसूचित नहीं किया गया है।

4. भेदभाव के आधार पर भी विशेष रूप से रिट याचिका में प्रस्तुत दस्तावेजों का हवाला देते हुए आग्रह किया गया ताकि हमें यह विश्वास दिलाया जा सके कि यदि चयन की कार्यवाही की जाती है, तो याचिकाकर्ता जो अतिथि व्याख्याता हैं और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्ति हैं, उन्हें संविदा कर्मचारियों के लिए लागू समान महत्व दिया जाना चाहिए; जो राज्य में आईटीआई में समान रूप से स्थित हैं। यह भी बताया गया है कि सीआईटीएस को नियमित अध्ययन और पूर्व स्तर की मान्यता (आरपीएल) नामक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नियमित सीआईटीएस और आरपीएल-सीआईटीएस दोनों को केंद्र सरकार द्वारा समान किया गया है, जो समानता विज्ञापन में

परिलक्षित नहीं होती है, जिससे और अधिक भेदभाव होता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह सम्मोहक तर्क है कि राज्य विज्ञापन के साथ आगे नहीं बढ़ सकता है और पूरे चयन को स्थगित करना होगा और 2018 के नियमों के तहत एक उचित चयन शुरू करना होगा, जिसे अब 2023 के विज्ञापन के बाद 2023 के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

5. विद्वान महाधिवक्ता ने अपने तर्क इस कथन के साथ शुरू किए कि चयन अब पूरा हो चुका है और याचिकाकर्ताओं ने भी इसमें भाग लिया है। चयन की कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं को कोई पूर्वाग्रह नहीं है, खासकर तब जब उन्होंने विज्ञापन के तहत आवेदन किया है और परीक्षा में भी भाग लिया है। इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश के कारण परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं और यदि तत्काल नियुक्तियां नहीं की जाती हैं, तो राज्य के भीतर संपूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण ध्वस्त हो जाएगा। याचिकाकर्ताओं का प्रयास केवल अल्पकालिक/अतिथि व्याख्याताओं के रूप में जारी रहना है; जिन्हें किसी भी तरह से संविदा कर्मचारियों के समान नहीं कहा जा सकता है। संविदा कर्मचारियों को उनकी योग्यता सुनिश्चित करने के बाद एक नियमित प्रक्रिया के माध्यम से और रोस्टर का पालन करने के बाद स्वीकृत पदों पर चुना गया था; जो अल्पकालिक/अतिथि व्याख्याताओं के रोजगार का मामला नहीं है। समानता का सिद्धांत तब विफल हो जाएगा जब असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और भेदभाव का कोई वैध मामला नहीं बनाया जाएगा। याचिकाकर्ताओं का प्रयास केवल अपनी अल्पकालिक नौकरियों में बने रहना और चयन प्रक्रिया को विफल करना है; यदि आगे बढ़ा और नियुक्तियां की गईं, तो इससे शिक्षा के स्तर में ही सुधार होगा। यहां तक कि अगर नए विज्ञापन के बाद नए सिरे से चयन किया जाता है, तो भी वही प्रक्रिया अपनानी होगी।

6. सीआईटीएस की अनिवार्य प्रकृति के बारे में, यह बताया गया है कि विज्ञापन से पहले भी, केंद्र सरकार ने प्रिस्क्रिप्शन को कमजोर कर दिया था और केवल चयनित उम्मीदवार पर जोर दिया था, जिसके पास सीआईटीएस नहीं है, उसे तीन साल की अवधि के भीतर योग्यता प्राप्त करने के लिए बाध्य किया गया था। इस शर्त को राज्य सरकार ने विज्ञापन में अपनाया है। 2018 के नियमों को बाद में अधिसूचित किया गया है और चूंकि आवेदकों के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है, जिन्होंने पहले से ही नए नियमों के तहत शुरू की गई चयन प्रक्रिया में भाग लिया है, जिसे अब उचित रूप से अधिसूचित किया गया है, रिट याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए।

7. हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी एन शाही ने तर्क दिया कि राजपत्र अधिसूचना की अनुपस्थिति के कारण 2018 के नियमों को अमान्य करने का कोई सवाल ही नहीं है, जैसा कि बिहार और उड़ीसा सामान्य खंड अधिनियम, 1970 की धारा 6 से स्पष्ट है। 2018 के नियम स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि यह तुरंत लागू हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया जाता है, जिन्होंने संबंधित राज्यों में सीआईटीएस को अधिमान्य योग्यता बनाने वाले नियमों को पूरी तरह से सही पाया। अनुच्छेद 309 के तहत राज्यों को वैधानिक नियम बनाने की शक्ति को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यकारी निर्देशों से दूर नहीं किया जा सकता है।

8. केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार ओझा को भी सुना गया। पक्षों ने कई निर्णयों पर भरोसा किया था, जिनका उल्लेख हम निर्णय के दौरान करेंगे।

9. उचित आधार तैयार करने और मूल मुद्दे को समझने के लिए, हम 2024 के सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 3385 का संदर्भ देते हुए तथ्यों का विस्तृत विवरण देंगे। इसमें याचिकाकर्ता स्नातक इंजीनियर हैं, जिनके पास सी.आई.टी.एस. योग्यता भी है;

कुछ याचिकाकर्ताओं के प्रमाण-पत्र अनुलग्नक-1 में प्रस्तुत किए गए हैं। 24.07.1996 का अनुलग्नक-2, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के संबंध में भारत सरकार, श्रम मंत्रालय का एक संचार है। एन.सी.वी.टी. की 31वीं बैठक से निकलने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक के पद के लिए भर्ती योग्यता बढ़ाने के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और राज्यों से सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों व्यावसायिक प्रशिक्षकों के संबंध में भर्ती नियमों में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। उक्त संचार के बावजूद, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक नियमावली, 2013 (अनुलग्नक-3) में सीआईटीएस की आवश्यक योग्यता का प्रावधान नहीं किया गया। उक्त नियमों और राज्य के विभिन्न आईटीआई में प्रशिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन संख्या 2/2013 को चुनौती दी गई थी; 2013 के नियमों के आधार पर।

10. रिट याचिका में, एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 26.07.2013 को एक अंतरिम आदेश द्वारा मामले पर विस्तार से विचार किया था, विशेष रूप से ***उपेंद्र नारायण सिंह बनाम यूपी राज्य 2006 एससीसी ऑनलाइन सभी: 709*** में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर भरोसा करते हुए। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जवाब में स्पष्टता की कमी पाते हुए, यह निर्देश दिया गया था कि हालांकि चयन आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार को दिनांक 15.12.2008 और 28.09.2010 को जारी पत्रों (उक्त रिट याचिका में प्रस्तुत अनुलग्नक-बी और सी) के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और दो अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णय पर भरोसा करते हुए दलीलों का आदान-प्रदान करने के बाद, विचार के लिए उठाया गया मुख्य मुद्दा यह था कि क्या बिहार राज्य को भारत संघ द्वारा निर्धारित बुनियादी पात्रता और योग्यता को दरकिनार करने की स्वतंत्रता है। 2013 के नियमों पर भरोसा करने को अस्वीकार

कर दिया गया क्योंकि राजपत्र अधिसूचना 25.07.2013 की थी और विज्ञापन उससे पहले का था। राज्य को बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक संवर्ग नियम, 2013 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप एक नया विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया गया था, जिसे सीआईटीएस की योग्यता के संबंध में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का भी निर्देश दिया गया था।

11. निर्णय के पश्चात, जिसे रिट याचिका में अनुलग्नक-4 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बिहार राज्य द्वारा दिनांक 22.06.2016 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, जैसा कि अनुलग्नक-5 में प्रस्तुत किया गया है। ट्रेड प्रशिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव 'राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र (एनएसी) या राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र (एनटीसी) या राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाण पत्र (सीआईटीएस) था। विज्ञापन में यह निर्दिष्ट किया गया था कि सीआईटीएस केवल उन ट्रेडों में लागू होगा जहां कार्यक्रम उपलब्ध है। यह विवादित नहीं है कि विज्ञापन पर कार्रवाई नहीं की गई और कोई चयन नहीं किया गया। इसके बाद ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अनुलग्नक-6, बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक संवर्ग नियमावली, 2018 लाया गया। इसमें नियम 2(ix) के तहत सीआईटीएस को परिभाषित किया गया। सीआईटीएस को सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता के तहत संबंधित ट्रेडों में प्रशिक्षण और शिक्षण प्रदान करने के लिए वांछनीय योग्यता के रूप में दिखाया गया था। नियम 9(ई) में नियोजित और अनुबंध पर काम करने वाले प्रशिक्षकों के लिए अधिकतम 30 अंकों के अधीन प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंकों का वरीयता भी प्रदान किया गया; एक पूर्ण वर्ष को संतोषजनक सेवा के पांच महीने से अधिक की अवधि माना जाएगा। नियमों में चयन का तरीका भी प्रदान किया गया था; नियम 9(जी) के अनुसार; जिसमें लिखित परीक्षा में प्राप्त 50% अंक, एनटीसी/एनएसी/डिप्लोमा/डिग्री प्रमाण पत्र में प्राप्त 20% अंक, सीआईटीएस परीक्षा में प्राप्त 30% अंक निर्धारित किए

गए थे। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों के लिए वरीयता भी निर्धारित किया गया था, जो कि विवादित विज्ञापन में अधिकतम 25 अंकों तक सीमित है।

12. विज्ञापन अनुलग्नक-11 में प्रस्तुत किया गया है, जो कि 2023 का विज्ञापन संख्या 38 है, जिसमें कुल 125 अंकों वाली चयन प्रक्रिया का संकेत दिया गया है, जिसमें से 50 लिखित परीक्षा, 20 डिप्लोमा/इंजीनियरिंग की योग्यता, 30 सीआईटीएस और 25 संविदा कर्मचारियों के लिए वरीयता दिए गए हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि 2018 के नियमों की कोई राजपत्र अधिसूचना नहीं थी; यह बाद में अनुलग्नक-13 दिनांक 16.10.2023 के अनुसार आया। यह मूलभूत तथ्य हैं जिन पर विवादों को संबोधित किया जाना है।

13. विचारणीय पहला मुद्दा यह है कि क्या सीआईटीएस एक अनिवार्य योग्यता है; जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत जारी किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ***बेरोजगार औद्योगिक कल्याण समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; एमएएनयू/यूपी/0024/23*** में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना है; सीआईटीएस की अनिवार्य प्रकृति को वांछनीय बनाने वाले परिवर्तनों के आधार पर, कि ***उपेंद्र नारायण सिंह*** *(उपरोक्त)* के फैसले, जैसा कि खंडपीठ ने पुष्टि की है, उसमें याचिकाकर्ताओं की कोई मदद नहीं है, जिन्होंने सीआईटीएस की अनिवार्य प्रकृति पर जोर देते हुए चयन के खिलाफ इसी तरह की चुनौती भी उठाई थी।

14. हम बंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा ***राजेश एवं अन्य बनाम बालू एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 2654/2023*** तथा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15816/2023 में अनुलग्नक-पी/2 के रूप में प्रस्तुत किए गए समरूप मामलों में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख करते हैं। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुच्छेद 73, 246, 254 और 309 के साथ-साथ सूची-I में प्रविष्टि 66 और सूची-III में प्रविष्टि

25 को निकालने के बाद, खंडपीठ ने पैराग्राफ संख्या 14 से 19 में ऐसा माना, जो नीचे उद्धृत है: -

> *"14. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए 1983 के भर्ती नियम अनुच्छेद 309 की सक्षम शक्तियों के तहत तैयार किए गए हैं। अनुच्छेद 73 जो संघ सरकार की कार्यपालिका से संबंधित संविधान के भाग V अध्याय 1 का एक हिस्सा है, यह प्रावधान करता है कि संविधान के प्रावधान के अधीन संघ की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य के विधानमंडल को सातवीं अनुसूची में सूची 1, सूची II और सूची III में दिए गए विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्तियों का प्रावधान करता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 66 के मद्देनजर केवल संसद को उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में समन्वय प्रदान करने और मानकों का निर्धारण करने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। हालांकि, संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा सूची III में प्रविष्टि 25 में तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा विषय को शामिल किया गया, जो सूची I की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66, श्रम के व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के प्रावधानों के अधीन है। बेशक, महाराष्ट्र राज्य ने सूची III से प्रविष्टि संख्या 25 का सहारा लेते हुए कोई कानून नहीं बनाया है, लेकिन चूंकि विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कुछ मामलों में यह स्थिति थी, इसलिए हम इसे शामिल कर रहे हैं।*
>
> *15. अनुच्छेद 73 के शब्दों का सहारा लेते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी उच्च न्यायालयों ने माना है कि चूंकि संघ की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है और चूंकि तकनीकी शिक्षा सातवीं अनुसूची*

की सूची I की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत आती है, इसलिए अनुच्छेद 73 के तहत संघ के विभाग द्वारा जारी कार्यकारी निर्देश/दिशानिर्देश अनुच्छेद 309 के तहत राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों का स्थान लेंगे। हालांकि इन उच्च न्यायालयों ने स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने संभवतः अनुच्छेद 254 में निहित प्रावधान के कारण ऐसी व्याख्या का सहारा लिया है जो राज्य के विधायिका को उन मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति को प्रतिबंधित करता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से असंगत नहीं हो सकते। जाहिर है, जहां तक संसद और राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए दी गई शक्तियों के दायरे और दायरे तथा अनुच्छेद 254 के आलोक में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की सर्वोच्चता के बारे में कोई बहस नहीं हो सकती। हालांकि मुद्दा यह है कि क्या निहितार्थ से अनुच्छेद 254 के तहत राज्य विधानमंडल की शक्तियों पर यह परिसीमनकारी सीमा अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 309 के बीच परस्पर क्रिया की व्याख्या करते समय भी लागू होगी। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण से, अनुच्छेद 73 भाग V के अध्याय I का एक हिस्सा है जो कार्यपालिका की शक्तियों का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 309 भाग XIV के अध्याय 1 का एक हिस्सा है जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 245 से 255 भाग XI के अध्याय I का हिस्सा हैं जो संघ और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान करता है। यदि संविधान की ऐसी योजना को ध्यान में रखा जाए, तो अनुच्छेद 254 के तहत किसी स्पष्ट प्रावधान के बिना, केवल इसलिए कि अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति के संबंध में प्रावधान करता है, यहां तक कि उन मामलों के लिए भी जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, उस प्रावधान के तहत जारी किए गए ऐसे कार्यकारी निर्देश या दिशानिर्देश, भले ही वे उन मामलों के संबंध में हों जिनके लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति है, अनुच्छेद 254 के तहत संरक्षण द्वारा शासित नहीं होंगे, जो केवल अन्य बातों के साथ-साथ उस

स्थिति को ध्यान में रखता है जहां किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा तैयार कानून संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रतिकूल हैं। यदि किसी राज्य सरकार ने अनुच्छेद 309 में निहित सक्षम प्रावधान का सहारा लेकर कुछ नियम बनाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न आईटीआई में नियुक्त किए जाने वाले शिल्प प्रशिक्षकों के पद के लिए शैक्षिक योग्यता प्रदान की गई है, भले ही वे अनुच्छेद 73 के तहत डीजीटी द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप न हों, तो पूर्व को किसी विशिष्ट प्रावधान से प्रभावित नहीं कहा जा सकता है, अनुच्छेद 254 से तो बिल्कुल भी नहीं।

16. यदि संसद सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 66 का सहारा लेकर शिल्प प्रशिक्षकों के पद के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदान करने वाला कानून बनाती है, तो उसे सर्वोच्चता प्राप्त होगी, हालांकि, अनुच्छेद 73 के तहत जारी कार्यकारी दिशानिर्देश या निर्देश को इस तरह नहीं माना जा सकता है जैसे कि यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है, जिसे अनुच्छेद 254 के आधार पर प्रधानता प्राप्त होगी।

17. हम अपनी इस व्याख्या के समर्थन में ***आंध्र प्रदेश सरकार बनाम श्रीमती पी लक्ष्मी देवी (श्रीमती); (2008) 4 एससीसी*** *720 के मामले में की गई टिप्पणियों का सहारा लेते हैं। प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैं:*

> *"33. केल्सन के अनुसार, प्रत्येक देश में कानूनी मानदंडों का एक पदानुक्रम होता है, जिसका नेतृत्व वह "ग्रंडनॉर्म" (मूल मानदंड) कहते हैं। यदि इस पदानुक्रम की उच्च परत में कोई कानूनी मानदंड निम्न परत में किसी कानूनी मानदंड से टकराता है तो पूर्व वाला मानदंड प्रबल होगा (केल्सन के कानून और राज्य के सामान्य सिद्धांत को देखें)।*
>
> *34. भारत में ग्रंडनॉर्म भारतीय संविधान है, और पदानुक्रम इस प्रकार है:*
>
> *(i) भारत का संविधान;*

(ii) वैधानिक कानून, जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून हो सकता है;

(iii) प्रत्यायोजित विधान, जो क़ानून के तहत बनाए गए नियमों, क़ानून के तहत बनाए गए विनियमों आदि के रूप में हो सकता है;

(iv) विशुद्ध रूप से कार्यकारी आदेश जो किसी भी कानून के तहत नहीं बनाए गए हैं।

35. यदि उपरोक्त पदानुक्रम में उच्च स्तर का कोई कानून (मानदंड) निम्न स्तर के कानून से टकराता है, तो पूर्व वाला कानून प्रबल होगा। इसलिए संवैधानिक प्रावधान सभी अन्य कानूनों पर प्रबल होगा, चाहे वह क़ानून में हो या प्रत्यायोजित विधान में या कार्यकारी आदेश में। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, और कोई भी कानून जो इसके साथ संघर्ष करता है, वह टिक नहीं सकता। चूंकि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून पदानुक्रम की दूसरी परत में है, इसलिए स्पष्ट रूप से यह अमान्य होगा यदि यह संविधान के किसी प्रावधान के साथ संघर्ष करता है (निर्देशक सिद्धांतों को छोड़कर, जिन्हें अनुच्छेद 37 द्वारा स्पष्ट रूप से गैर-प्रवर्तनीय बनाया गया है)।

18. ***एस. के. नौसाद रहमान और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य; (2022) 12 एससीसी 1*** *से निम्नलिखित अवलोकन भी प्रासंगिक होगा:*

"28. चौथा, सिविल सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों पर लागू मानदंड निम्नलिखित में निर्धारित किए जा सकते हैं:

(I) सक्षम विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून;

(ii) संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम; और

(iii) संघ के अधीन सिविल सेवाओं के मामले में संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत जारी कार्यकारी निर्देश और राज्यों के अधीन सिविल सेवाओं के मामले में अनुच्छेद 162.

29. पांचवां, जहां कार्यकारी निर्देशों और अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों के बीच टकराव होता है, वहां नियमों को ही लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों और उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के बीच टकराव की स्थिति में, कानून लागू होता है। जहां नियम अस्थाई हैं या ऐसी स्थिति में जब नियमों में कोई अंतर है, कार्यकारी निर्देश नियमों में बताई गई बातों को पूरक कर सकते हैं।

30. छठा, संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत संघ को और अनुच्छेद 162 के तहत राज्यों को प्रदत्त शक्ति के संदर्भ में लिया गया नीतिगत निर्णय विधायी अधिनियम के तहत बनाए गए भर्ती नियमों या संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है।

19. उपरोक्त के आलोक में, न्यायाधिकरण ने उच्च न्यायालयों के निर्णयों का आँख मूंदकर पालन करने में घोर गलती की है, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 73 के तहत डीजीटी द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक दिशा-निर्देश अनुच्छेद 309 के तहत राज्य द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों पर प्राथमिकता रखेंगे। हमारे द्वारा दिए गए कारणों से, जब तक शिल्प प्रशिक्षक के पद के लिए योग्यता प्रदान करने का क्षेत्र सातवीं अनुसूची से सूची । की प्रविष्टि संख्या 66 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, तब तक प्रतिवादी-डीजीटी द्वारा अनुच्छेद 73 का सहारा लेकर जारी किए गए कार्यकारी निर्देश अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए भर्ती नियम, 1983 का स्थान नहीं लेंगे, जिसके अनुसार विवादित विज्ञापन जारी किया गया था। न्यायाधिकरण द्वारा विवादित आदेश पारित करने के लिए आधार

बनाने वाली टिप्पणियाँ और निष्कर्ष स्पष्ट रूप से कानून में मान्य नहीं हैं।

15. उपरोक्त निर्णय से संबंधित विशेष अनुमति याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। हम इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं कि एसएलपी को खारिज करने से स्वीकृत निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरण की चमक नहीं मिलेगी। हालांकि खंडपीठ में दिए गए तर्क हमें उपरोक्त कथन का सम्मानपूर्वक पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा 31.01.2020 को जारी अनुलग्नक-8 संचार को देखते हुए, जिसके द्वारा यह देखा गया कि 152 सीआईटीएस ट्रेडों में से केवल 82 ट्रेडों के लिए ही सीआईटीएस पाठ्यक्रम स्वीकृत हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकारों को ऐसे ट्रेडों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति देने की आवश्यकता है, जहां कोई सीआईटीएस पाठ्यक्रम नहीं है, इस शर्त पर कि उक्त उम्मीदवार आरपीएल के तहत सीआईटीएस प्रशिक्षण लेंगे, जब भी डीजीटी द्वारा ऐसी सीआईटीएस योग्यताएं विकसित की जाती हैं। यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा या एनटीसी या एनएसी है; यदि सीआईटीएस पाठ्यक्रम वाले ट्रेडों के लिए सीआईटीएस योग्यता के बिना चयन किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष के भीतर सीआईटीएस प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। यह विशेष रूप से विज्ञापन में निर्धारित शर्त है, जो अब तक सीआईटीएस के बिना नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को चेतावनी देती है कि यदि वे तीन साल की अवधि के भीतर ऐसी योग्यता हासिल नहीं करते हैं तो वे पहली वेतन वृद्धि के लिए अपनी पात्रता खो देंगे और यहां तक कि बर्खास्तगी का भी सामना करेंगे। इसलिए सीआईटीएस अनिवार्य नहीं है और केवल एक वांछनीय योग्यता है।

16. अब हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या 2018 के नियम ठीक से अधिसूचित किए गए हैं।

17. ***हरला बनाम राजस्थान राज्य; एआईआर 1951 एससी 467*** कानून के प्रचार और प्रकाशन की आवश्यकता से संबंधित था। यह घोषित किया गया कि *'किसी विशेष कानून या प्रथा के अभाव में, किसी राज्य के विषय को ऐसे कानूनों द्वारा दंडित या दंडित करने की अनुमति देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा, जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और जिनके बारे में वे उचित परिश्रम के साथ भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।' (इस प्रकार)* इसलिए यह माना गया कि किसी कानून को लागू करने से पहले उसे प्रख्यापित या प्रकाशित किया जाना चाहिए, इसे किसी पहचानने योग्य तरीके से प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि सभी लोग जान सकें कि यह क्या है। वर्ष 1924 में जयपुर अफीम अधिनियम को राजपत्र में प्रख्यापित या प्रकाशित किए बिना या अन्य माध्यमों से जनता को ज्ञात करने के लिए पारित करना ही इसे कानून बनाने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया।

18. **बी. के. श्रीनिवासन बनाम कर्नाटक राज्य; (1987) 1 एससीसी 658** ने पैराग्राफ संख्या में ऐसा माना। 15:-

> ***"15.*** *इस प्रस्ताव के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जहां कोई कानून, चाहे वह संसदीय हो या अधीनस्थ, अनुपालन की मांग करता है, वहां शासित लोगों को कानून और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा इसमें किए गए सभी परिवर्तनों और परिवर्धनों के बारे में सीधे और विश्वसनीय रूप से सूचित किया जाना चाहिए। चाहे कानून को कानून का पालन करने की कोशिश करने वाले "ईमानदार अच्छे आदमी" के दृष्टिकोण से देखा जाए या जस्टिस होम्स के "अचेतन बुरे आदमी" के दृष्टिकोण से जो कानून से बचना चाहता है, कानून को जाना जाना चाहिए, यानी इसे इस तरह बनाया जाना चाहिए कि इसे जाना जा सके। हम जानते हैं कि प्रत्यायोजित या अधीनस्थ कानून सर्वव्यापी है और शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां प्रत्यायोजित या अधीनस्थ विधायी शक्तियों*

द्वारा शासन संसदीय कानून द्वारा शासन से अधिक महत्वपूर्ण न हो। लेकिन संसदीय विधान के विपरीत जो सार्वजनिक रूप से बनाया जाता है, प्रत्यायोजित या अधीनस्थ विधान अक्सर मंत्री, सरकार के सचिव या अन्य आधिकारिक गणमान्य व्यक्ति के कक्षों में विनीत रूप से बनाया जाता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि अधीनस्थ विधान को प्रभावी होने के लिए किसी उपयुक्त तरीके से प्रकाशित या प्रख्यापित किया जाना चाहिए, चाहे ऐसा प्रकाशन या प्रख्यापन मूल विधान द्वारा निर्धारित किया गया हो या नहीं। यह तब ऐसे प्रकाशन या प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी होगा। जहां मूल विधान प्रकाशन या प्रख्यापन का तरीका निर्धारित करता है, उस तरीके का पालन किया जाना चाहिए। जहां मूल विधान मौन है, लेकिन अधीनस्थ विधान स्वयं प्रकाशन का तरीका निर्धारित करता है, यदि उचित हो तो प्रकाशन का ऐसा तरीका पर्याप्त हो सकता है। यदि अधीनस्थ विधान प्रकाशन की विधि निर्धारित नहीं करता है या यदि अधीनस्थ विधान प्रकाशन की स्पष्ट रूप से अनुचित विधि निर्धारित करता है, तो यह तभी प्रभावी होगा जब इसे प्रथागत रूप से मान्यता प्राप्त सरकारी चैनल, अर्थात् आधिकारिक राजपत्र या प्रकाशन की किसी अन्य उचित विधि के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। अधीनस्थ विधान हो सकते हैं जो कुछ व्यक्तियों से संबंधित हैं या छोटे स्थानीय क्षेत्रों तक सीमित हैं। ऐसे मामलों में अन्य माध्यमों से प्रकाशन या प्रचार पर्याप्त हो सकता है [नारायण रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1969) 1 एएनडीएच. डब्ल्यूआर 77]."

19. हमें यह देखना होगा कि उपरोक्त निर्णय दंडात्मक कानूनों और नागरिकों द्वारा अनुपालन की आवश्यकता वाले कानूनों के संबंध में थे, जिन्हें लागू किए जाने और प्रभावी किए जाने से पहले नागरिकों को जानने का अधिकार था।

20. ***दीपक बाबरिया बनाम गुजरात राज्य; (2014) 3 एससीसी 502,*** विभिन्न प्राधिकारियों पर विचार करते हुए, अनुमोदन के साथ, **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह; एआईआर 1964 एससी 358** के निर्णय का संदर्भ दिया, जिसमें **टेलर बनाम टेलर [(1875) एलआर 1 सीएच डी 426 पृष्ठ 431 पर]** में निर्धारित कानून के प्रस्ताव को निम्नलिखित तरीके से दोहराया गया: -

> *"टेलर बनाम टेलर [(1875) एलआर 1 सीएच डी 426 पृष्ठ 431 पर] में अपनाया गया नियम अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है और ठोस सिद्धांत पर आधारित है। इसका परिणाम यह है कि यदि किसी कानून ने कोई कार्य करने की शक्ति प्रदान की है और उस शक्ति का प्रयोग करने की विधि निर्धारित की है, तो यह आवश्यक रूप से उस कार्य को निर्धारित तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से करने पर रोक लगाता है। नियम के पीछे सिद्धांत यह है कि यदि ऐसा नहीं होता, तो वैधानिक प्रावधान अधिनियमित ही नहीं किया जाता।"*
>
> *[जोर देने के लिए हमने रेखांकित किया है]*

21. ***ग्रेटर मुंबई नगर निगम बनाम अनिल शांताराम खोजे एवं अन्य; (2016) 15 एससीसी 726,*** भर्ती प्रक्रियाओं के पहलू पर माना गया कि नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ही प्रभावी होते हैं; जैसा कि उस अधिनियम में प्रावधान है जिसके तहत नियम बनाए गए थे।

22. बिहार और उड़ीसा सामान्य खंड अधिनियम, 1917 धारा 28 में ऐसा प्रावधान करता है: -

> *"28. **राजपत्र में आदेशों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन**- जहां किसी बिहार और उड़ीसा अधिनियम [या बिहार] या किसी ऐसे अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम में यह निर्देश दिया गया है कि कोई आदेश, अधिसूचना या अन्य विषय अधिसूचित या प्रकाशित किया जाएगा, वहां ऐसी अधिसूचना या प्रकाशन, जब*

तक कि अधिनियम में अन्यथा उपबंध न हो, राजपत्र में प्रकाशित होने पर विधिवत् किया गया समझा जाएगा।"

23. उक्त अधिनियम की धारा 6 का भी उद्धरण यहां नीचे दिया गया है:-

"6. अधिनियमों का लागू होना-(1) जहां किसी बिहार और उड़ीसा अधिनियम के किसी विशेष दिन को लागू होने की घोषणा नहीं की गई है, वहां वह उस दिन लागू होगा जिस दिन भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 81 के अनुसरण में गवर्नर-जनरल की अनुमति [आधिकारिक राजपत्र] में प्रथम बार प्रकाशित होती है।

(1-ए) जहां किसी बिहार अधिनियम के किसी विशेष दिन को लागू होने की घोषणा नहीं की गई है, वहां-

(i) संविधान के प्रारंभ से पूर्व बनाए गए बिहार अधिनियम की स्थिति में, यदि वह विधानमंडल का अधिनियम है तो वह उस दिन लागू होगा जिस दिन, यथास्थिति, राज्यपाल, गवर्नर जनरल या महामहिम की अनुमति, राजपत्र में पहली बार प्रकाशित होगी और यदि वह बिहार के राज्यपाल का अधिनियम है तो उस दिन लागू होगा जिस दिन वह राजपत्र में अधिनियम के रूप में पहली बार प्रकाशित होगा;

(ii) संविधान के प्रारंभ के पश्चात बनाए गए बिहार अधिनियम की दशा में, वह उस दिन लागू होगा जिस दिन उस पर राज्यपाल या राष्ट्रपति की, अनुमति, जैसा भी मामला हो, राजपत्र में पहली बार प्रकाशित होगी।

(2) जब तक विपरीत बात व्यक्त न किया जाए, बिहार और उड़ीसा अधिनियम या बिहार अधिनियम को उसके प्रारंभ होने से पूर्व के दिन की समाप्ति पर तत्काल प्रभाव में आने के रूप में समझा जाएगा।

24. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम, 2018 के नियम 11.05.2019 को लाए गए थे और यह निर्दिष्ट किया गया था कि यह नियम 1(3) से देखा गया है कि यह तुरंत लागू होगा। उक्त नियमों के तहत कोई दंड नहीं लगाया गया है और न ही यह ऐसा है जिसके लिए नागरिकों से अनुपालन की

आवश्यकता है। यह एक निर्दिष्ट संवर्ग में चयन, नियुक्ति और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाला नियम है। इस बात पर कोई जोर नहीं दिया जा सकता है कि आम जनता को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए या संवर्ग के भावी उम्मीदवारों को पहले से जानकारी होनी चाहिए। भर्ती में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन के समय आवश्यकताओं को प्रचारित किया जाता है। हमें 2018 के नियमों के तहत लाए गए विज्ञापन में कोई खामी नहीं मिली।

25. वर्तमान मामले में इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञापन आने पर 2018 का नियम अधिसूचित या राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ था। भले ही कोई अधिसूचना होनी थी; 2018 के नियमों के कायम न रहने की स्थिति का सामना करते हुए, हमें अनिवार्य रूप से 2013 के नियमों पर वापस लौटना होगा जो निस्संदेह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुए थे। 2013 के नियमों को सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3385/2024 में अनुलग्नक-3 के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं (जिससे हम इस पैराग्राफ में अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का संदर्भ देते हैं)। यह अनुलग्नक-3 में सीआईटीएस प्रदान नहीं करने के संदर्भ में था, कि इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनुलग्नक-4 के फैसले द्वारा राज्य सरकार को सीआईटीएस की योग्यता के रूप में एनसीवीटी द्वारा निर्धारित आवश्यकता के अनुरूप 2013 के नियम बनाने के बाद एक नया विज्ञापन जारी करने की आवश्यकता थी। चूंकि राज्य ने अपील नहीं की है, इसलिए यह निर्णय अंतिम हो गया है, लेकिन जैसा कि हमने पहले देखा, स्थिति काफी बदल गई है और सीआईटीएस अब अनिवार्य नहीं है। इसलिए, इससे अब तक कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई है; चाहे 2013 के नियमों के तहत चयन की कार्यवाही हो या 2018 के नियमों के तहत; जो बाद का नियम सीआईटीएस को एक वांछनीय योग्यता बनाता है।

26. हमें भारत सरकार के अनुलग्नक-10 संचार पर भी ध्यान देना होगा, जिसका हमने पहले उल्लेख किया था, जो दिनांक 30.06.2023 है। उपर्युक्त रिट याचिकाओं में आरोपित विज्ञापन 14.09.2023 दिनांकित था, जैसा कि भारत सरकार के अनुलग्नक-10 आदेश के बाद प्रस्तुत अनुलग्नक-11 श्रृंखला से स्पष्ट है। यह 2013 के नियमों के साथ टकराव नहीं करता है, जिसमें सीआईटीएस को अनिवार्य योग्यता या शैक्षणिक योग्यता के रूप में प्रदान नहीं किया गया है। यह भी 2018 के नियमों के अनुरूप है। सीआईटीएस को वरीयता देने वाले राज्य सरकार के विज्ञापन को केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देशों को अपनाने के रूप में माना जा सकता है।

27. अब हम विज्ञापन में निर्धारित चयन पद्धति पर आते हैं, जिसमें हमने देखा कि, 50 प्रतिशत अंकों के साथ एक लिखित परीक्षा, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र के लिए 20 प्रतिशत अंक, सीआईटीएस का 30 प्रतिशत और संविदा नियुक्ति के लिए 25 अंक का वरीयता होता है। 2013 के नियमों में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है और इसलिए विज्ञापन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही उचित है और केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य सीआईटीएस के अधिमान्य उपचार के अनुरूप है। प्रक्रिया किसी भी तरह से 2013 के नियमों के साथ संघर्ष नहीं करती है; भले ही 2018 के नियम विज्ञापन के समय अनुपयुक्त पाए जाते हों; जो हमने पहले ही पाया है कि यह एक वैध तर्क नहीं है।

28. अब हम संविदा कर्मचारियों के लिए दिए गए वरीयता पर आते हैं। हम देखते हैं कि 2018 के नियमों में, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 8025 दिनांक 21.05.2013 संविदा कर्मचारियों को वरीयता की अनुमति देती है; जैसा कि 2018 के नियमों के पैराग्राफ संख्या 9 (ई) से स्पष्ट है। 2018 के नियमों से स्वतंत्र भी सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना बनी रहती है और वरीयता उचित है।

हमारा यह भी मत है कि अल्पकालिक/अतिथि व्याख्याताओं को संविदा कर्मचारियों के बराबर नहीं माना जा सकता। लेकिन अल्पकालिक/अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए विज्ञापन तैयार करने में यह नहीं बताया गया है कि चयन कैसे किया गया। जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता ने बताया कि संविदा कर्मचारियों का चयन अल्पकालिक/अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति से काफी भिन्न है क्योंकि वे संविदा कर्मचारियों के बराबर नहीं मिल पाते। हमारा मत है कि केवल संविदा कर्मचारियों को दिया दिया गया वरीयता भी उचित है।

29. हमें यह देखना होगा कि लिखित परीक्षा भी सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, जैसा कि अनुलग्नक-आर1/ई के अनुसार राज्य सरकार के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15816/2023 में दिनांक 09.05.2024 के अनुपूरक हलफनामे के साथ प्रस्तुत किया गया है। विज्ञापन में निर्धारित चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा और संविदा कर्मचारियों को दिए जाने वाले वरीयता के संबंध में विभिन्न सरकारी आदेशों के अनुरूप है, जो एक दूसरे के साथ संघर्ष नहीं करते हैं। यद्यपि इस पर कोई तर्क नहीं दिया गया है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि 2018 के नियम, विशेष रूप से प्रत्येक ट्रेड में प्रशिक्षकों के दो पदों में से एक के लिए प्रावधान किया गया है, जिन्हें इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा और एनटीसी/एनएसी धारकों के लिए अलग रखा जाएगा अर्थात: एक पद डिग्री या डिप्लोमा धारक को दिया जाएगा और दूसरा एनटीसी/एनएसी धारकों के लिए होगा। हमें केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांक 30.06.2023 के अनुलग्नक-10 (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3385/2024) पर पुनः गौर करना होगा, जिसमें ट्रेड प्रशिक्षक के लिए योग्यता निम्नानुसार इंगित की गई है: -

> *"नोट: 2(1+1) की इकाइयों के लिए आवश्यक दो प्रशिक्षकों में से एक के पास डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए और दूसरे के पास एनटीसी/एनएसी योग्यता होनी चाहिए।"*

30. इसलिए उस आधार पर किया जाने वाला चयन भी केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप है, जैसा कि राज्य सरकार ने विज्ञापन में अपनाया है। हमें रिट याचिकाओं पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता। हालाँकि यह देखा जाना चाहिए कि केंद्र सरकार ने अनुलग्नक पी-10 और अनुलग्नक पी-16 में नियमित और आरपीएल सीआईटीएस को समान माना है। सीआईटीएस के लिए प्राप्त अंकों में से 30% अंक प्रदान करके वरीयता का दावा प्रदान करने में; हम राज्य सरकार को दोनों धाराओं, नियमित और आरपीएल के तहत प्राप्त सीआईटीएस पर विचार करने का निर्देश देते हैं। उपरोक्त आरक्षण के साथ अन्य तर्कों को अस्वीकार किया जाता है।

31. विद्वान महाधिवक्ता ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि पूरी चयन प्रक्रिया समाप्त हो गई है और केवल मेरिट सूची का प्रकाशन और नियुक्ति शेष है। राज्य हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को शामिल करते हुए चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होगा।

32. रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी जाएगी, जिससे आरपीएल सीआईटीएस को भी शामिल किया जा सकेगा, लेकिन उठाए गए अन्य सभी आधारों को खारिज कर दिया जाएगा।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

सुजीत/रंजन--

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।